कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 603 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2018

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–कला––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कु0 लक्ष्मी	श्री बृजेश कुमार	ग्राम–कासमपुर, पो0–जसपुर, तहसील–जसपुर जिला–उधमसिंहनगर पिन– 244712	Gen	02.03.1992	उधमसिंहनगर	एम0ए0	86.50	रा0क0उ0मा0वि0 पाटी, चम्पावत
2	कु0 आँचल	श्री राजकुमार	मोहल्ला–शिव नगर, टाउन एण्ड पो0– सुल्तानपुर पट्टी, तहसील–बाजपुर, जिला–उधमसिंहनगर पिन– 244713	Gen	01.01.1992	उधमसिंहनगर	एम0ए0, बी0एड0	82.00	रा0क0इ0का0 काकड़, चम्पावत
3	हंसा ऐठानी	स्व0 श्री जीवन सिंह ऐठानी	ग्राम–बमसेरा, पो0–भराड़ी, तहसील–कपकोट जिला–बागेश्वर पिन– 263679	Gen	06.01.1989	बागेश्वर	एम0ए0, बी0एड0	81.00	रा0क0इ0का0 काण्डा, बागेश्वर
4	बसन्ती आर्या	श्री प्रेम राम	ग्राम–मल्ला घोड़पाटा, पो0–मुनस्यारी, तहसील–मुनस्यारी जिला–पिथौरागढ़ पिन– 262554	SC	02.07.1987	पिथौरागढ़	एम0ए0, बी0एड0	78.25	रा0क0इ0का0 नमजला, पिथौरागढ़

01.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8365-75 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–कला विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय–

(1)– भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग में अथवा फाईन आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि।
(2)– इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम् 04 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा/फाईन आर्ट से मान्यता प्राप्त संस्था से। अथवा

(क)– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेंटिंग/फाईन आर्ट/कला विषय में स्नातक की उपाधि।
(ख)– किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।
(ग)– इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो। अथवा एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय महाविद्यालय से फाईन आर्ट विषय में बी0एड0 डिग्री/डिप्लोमा।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

01-01-19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 604 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–हिन्दी––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विनीता अल्मिया	श्री रमेश चन्द्र अल्मिया	ग्राम–नौघर पो0–बैजनाथ (गरूड़) तहसील–गरूड़ जिला–बागेश्वर पिन– 263641	Gen	02.07.1990	बागेश्वर	एम0ए0, बी0एड0	75.50	रा0क0इ0का0 ऐठाण, बागेश्वर
2	कु0 दीपा	श्री रघुनन्दन	ग्राम–बिरार पो0–भाबू, तहसील–जैंती जिला–अल्मोड़ा पिन– 263626	Gen	29.06.1986	अल्मोड़ा	एम0ए0, बी0एड0	73.75	रा0उ0मा0वि0 ध्याड़ी, अल्मोड़ा
3	ज्योति राय	श्री केशव राय	ग्राम–मोतीपुर नं0–1, पो0–दिनेशपुर, जिला–उधमसिंहनगर पिन–263160	Gen	02.07.1993	उधमसिंहनगर	बी0ए0, बी0एड0	71.00	रा0क0इ0का0 स्याल्दे, अल्मोड़ा
4	गीता कार्की	श्री बहादुर सिंह कार्की	द्वारा सतीश लाल वर्मा निकट एस0बी0आई0 बेरीनाग जिला–पिथौरागढ़ पिन– 262531	Gen	05.07.1985	पिथौरागढ़	एम0ए0, बी0एड0	70.00	रा0क0उ0म0वि0 बनकोट, पिथौरागढ़

1.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

3117/77-604

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8376-86 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–हिन्दी विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

02-07-14

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 605 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–हिन्दी––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रेखा उप्रेती	श्री हरीश चन्द्र उप्रेती	ग्राम–पातली पो0–पातली, तहसील–गरूड़ जिला– बागेश्वर पिन– 263641	Gen	15.06.1988	बागेश्वर	बी0ए0, बी0एड0	70.00	रा0क0इ0का0 भटेलिया, नैनीताल
2	कला	श्री खुशाल सिंह रावत	ग्राम–पनपोला पो0–भिकियासैण जिला–अल्मोड़ा पिन– 263667	Gen	30.08.1988	अल्मोड़ा	एम0ए0, बी0एड0	69.75	रा0क0इ0का0 चौखुटिया, अल्मोड़ा
3	हेमा	श्री गणेश दत्त	शांति कुंज गली नं0–6 लखनपुर, रामनगर जिला–नैनीताल पिन– 244715	Gen	10.09.1975	नैनीताल	एम0ए0, बी0एड0	68.75	रा0क0इ0का0 खुर्पाताल, नैनीताल
4	दीपा बोरा	श्री मदन सिंह बोरा	द्वारा श्री विनोद सिंह मेहरा, मेहरा भवन, कारखाना बाजार, जिला–अल्मोड़ा पिन– 263601	Gen	01.04.1982	अल्मोड़ा	एम0ए0, बी0एड0	68.75	रा0क0उ0मा0वि0 जालली, अल्मोड़ा

01-01-19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश-605

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8387-97 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–हिन्दी विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

1-01-19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 606 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–हिन्दी––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कु0 गीता	श्री हीरा सिंह	द्वारा श्रीमती विमला बिष्ट, रा0बा0इ0का0 रानीखेत, पो0–रानीखेत जिला–अल्मोड़ा पिन– 263645	Gen	10.05.1988	अल्मोड़ा	एम0ए0, बी0एड0	68.75	रा0क0उ0मा0वि0 बासोट, अल्मोड़ा
2	कु0 प्रियंका	श्री पूरन सिंह बिष्ट	ग्राम–भैंसकोटी, पो0–कमान्द, जिला–टिहरी गढ़वाल पिन– 249131	OBC	30.04.1988	टिहरी गढ़वाल	एम0ए0, बी0एड0	66.25	रा0क0उ0मा0वि0 बिषाण, पिथौरागढ़
3	कु0 आरती	श्री महिमानन्द नौटियाल	माता मन्दिर रोड गणेश विहार लेन नम्बर–5 अजबपुर खुर्द जिला–देहरादून पिन– 248001	OBC	15.03.1992	टिहरी गढ़वाल	बी0ए0, बी0एड0	66.25	रा0क0इ0का0 जयन्ती, अल्मोड़ा
4	बबली दिवाकर	श्री धर्मपाल सिंह दिवाकर	ग्राम–गुलरिया, पो0–फौजी कॉलोनी, तहसील–बाजपुर, जिला–उधमसिंहनगर पिन– 262401	SC	02.03.1992	उधमसिंहनगर	एम0ए0, बी0एड0	66.00	रा0क0इ0का0 लोहाघाट, चम्पावत

01.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश-606

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8397-8407 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–हिन्दी विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

1-07-19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 69 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–हिन्दी––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नन्दी आर्या	श्री शेर राम	पत्नी श्री सुनील कुमार, मोहल्ला–तल्ला ओढ़खोला राजपुर जिला–अल्मोड़ा पिन– 263601	SC	09.05.1977	अल्मोड़ा	एम0ए0, बी0एड0	63.00	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरा, अल्मोड़ा
2	सरिता आर्या	श्री खीम राम	ग्राम–भनार पो0–मण्डलसेरा जिला–बागेश्वर पिन– 263642	SC	15.02.1990	बागेश्वर	बी0ए0, बी0एड0	63.00	रा0क0इ0का0 पुरड़ा, बागेश्वर
3	आशा आर्या	श्री रामलाल आर्या	ग्राम–मनेला, पो0–मनेला गगास, तहसील–द्वाराहाट जिला–अल्मोड़ा पिन– 263645	SC	15.04.1985	अल्मोड़ा	बी0ए0, बी0एड0	61.25	रा0क0इ0का0 बग्वालीपोखर, अल्मोड़ा

01-19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8408-18 /2018–19 दिनांक उक्तवत्। आदेश-607

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–हिन्दी विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

18-1-19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 608 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–विज्ञान––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नेहा सक्सेना	श्री राधे मोहन सक्सेना	मोहल्ला–मझरा प्रभु, वार्ड नं0–1, पो0–बाजपुर, तहसील–बाजपुर, जिला–उधमसिंहनगर पिन– 262401	Gen	10.09.1985	उधमसिंहनगर	एम0एस0 सी0, बी0एड0	78.50	रा0क0उ0मा0वि0 ऐठाण, बागेश्वर
2	ज्योति करायत	श्री डी0 एस0 करायत	ए2/11, साउथ ओ0एन0जी0सी0 कालोनी कौलागढ़ रोड, जिला–देहरादून पिन 248195	Gen	30.06.1987	अल्मोड़ा	एम0एड0, एम0एस0 सी0	63.50	रा0क0इ0का0 पारकोट, अल्मोड़ा
3	ममता जोशी	श्री पूरन चन्द्र मिश्रा	द्वारा श्री आर0 डी0 पाण्डे, म0नं0–61, जॉयविला कम्पाउण्ड, तल्लीताल, जिला–नैनीताल पिन– 263002	Gen	16.07.1989	पिथौरागढ़	एम0एस0 सी0, बी0एड0	62.00	रा0क0उ0मा0वि0 देवलथल, पिथौरागढ़

01.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश-608

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8419-29 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–विज्ञान विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 609 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–विज्ञान––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बबली गौड़	श्री महेश्वर प्रसाद गौड़	ग्राम–दानकोट पो0–किमाना जिला–रूद्रप्रयाग पिन– 246421	Gen	17.12.1992	रूद्रप्रयाग	एम0एस0 सी0, बी0एड0	57.50	रा0क0इ0का0 दोफाड़, बागेश्वर
2	सुनीता भट्ट	श्री त्रिलोचन भट्ट	मानिला सदन, चिलियानौला जिला–अल्मोड़ा पिन–263645	Gen	10.07.1990	अल्मोड़ा	एम0एस0 सी0, बी0एड0	55.25	रा0क0उ0मा0वि0 उभ्याड़ी, अल्मोड़ा
3	हेमा जोशी	श्री हरीश चन्द्र जोशी	ग्राम–पीपलपोखरा ने0–1, पो0–फतेहपुर, हल्द्वानी जिला–नैनीताल पिन– 263139	Gen	28.07.1990	नैनीताल	एम0एस0 सी0, बी0एड0	55.25	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरा, अल्मोड़ा
4	भावना शर्मा	श्री शंकर दत्त शर्मा	द्वारा श्री मोहन शर्मा, शान्तिकुंज गली नं0–6 लखनपुर रामनगर जिला–नैनीताल पिन– 244715	Gen	20.01.1986	नैनीताल	बी0एस0 सी0, बी0एड0	54.75	रा0क0उ0मा0वि0 गुमटी, अल्मोड़ा

1.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश-609

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8430-40 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–विज्ञान विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

1-11-17

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 610 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–विज्ञान––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विनीता खर्कवाल	श्री सुरेश चन्द्र खर्कवाल	द्वारा श्री केशव दत्त सुतेड़ी, सत्य विहार जयदेवपुर, आर0टी0ओ0 रोड हल्द्वानी, पो0–कुसुमखेड़ा जिला–नैनीताल पिन– 263139	Gen	01.07.1987	चम्पावत	एम0एस0 सी0, बी0एड0	53.00	रा0क0इ0का0 डीडीहाट पिथौरागढ़
2	मन्जू टम्टा	श्री लछी राम टम्टा	ग्राम–खड़ककार्की, पो0–खड़कार्की जिला–चम्पावत पिन– 262523	Gen	03.07.1992	चम्पावत	बी0एस0 सी0, बी0एड0	52.75	रा0क0इ0का0 नमजला, पिथौरागढ़
3	कु0 हेमलता जोशी	श्री प्रेम बल्लभ जोशी	ग्राम–हरसान, पो0–हरिपुरा, तहसील–बाजपुर, जिला–उधमसिंहनगर पिन– 262401	Gen	15.06.1989	उधमसिंहनगर	एम0एस0 सी0, बी0एड0	52.25	रा0क0इ0का0 थल, पिथौरागढ़

01-01-19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश-610

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8441-51 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–विज्ञान विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

01-7-19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 611 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–विज्ञान––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सृष्टि बोरा	श्री हरेन्द्र सिंह बोरा	पुत्री श्रीमती हेमन्ती बोरा, रा0बा0इ0का0 चम्पावत जिला–चम्पावत पिन– 262523	Gen	13.10.1990	चम्पावत	एम0एस0 सी0, बी0एड0	52.00	रा0क0इ0का0 मूनाकोट, पिथौरागढ़
2	नेहा सनवाल	श्री पूरन चन्द्र सनवाल	ग्राम–चीनपुर, कुसुमखेड़ा, पो0–हरिपुर नायक, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल पिन– 263139	Gen	04.04.1991	नैनीताल	एम0एस0 सी0, बी0एड0	51.25	रा0क0इ0का0 बिषाण, पिथौरागढ़
3	नीता पाठक	श्री प्रेम चन्द्र तिवारी	मोहल्ला–आनन्द विहार गिरिताल, निकट गोलू गार्डन, गली नं0–2, काशीपुर जिला–उधमसिंहनगर पिन– 244713	Gen	22.03.1984	उधमसिंहनगर	एम0एस0 सी0, बी0एड0	50.25	रा0क0उ0मा0वि0 होराली, बोश्वर

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश- 611

पृ0सं0/सेवाएं–3के(2)/अराज0/ /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–विज्ञान विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 612 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–विज्ञान––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आशा भट्ट	श्री दामोदर पालीवाल	पत्नी श्री त्रिलोचन भट्ट, तल्लीताल बाजार, निकट पन्त पार्क, भीमताल जिला–नैनीताल पिन– 263136	Gen	22.12.1987	नैनीताल	एम0एस0 सी0, बी0एड0	50.00	रा0क0इ0का0 बाड़ेछीना, अल्मोड़ा
2	कु0 पूजा कोहली	श्री धनी राम कोहली	उदय भवानी विहार फेज–02, बड़ी मुखानी, पीलीकोठी हल्द्वानी जिला–नैनीताल पिन– 263931	SC	05.07.1988	नैनीताल	एम0एस0 सी0, बी0एड0	41.25	रा0क0इ0का0 रैलाकोट, अल्मोड़ा
3	यशोदा आर्या	श्री हरीश चन्द्र	पत्नी श्री सन्तोष कुमार आर्या, न्यू मोहन निवास, स्टोनले कम्पाउण्ड, तल्लीताल जिला–नैनीताल पिन– 263002	SC	15.07.1982	नैनीताल	एम0एस0 सी0, बी0एड0	39.50	रा0क0इ0का0 दौलाघट, अल्मोड़ा
4	कु0 ज्योति	श्री श्रीप्रकाश	ग्राम–सिनौड़ा, पो0–सिनौड़ा, जिला–अल्मोड़ा पिन– 263645	SC	17.07.1993	अल्मोड़ा	बी0एस0 सी0, बी0एड0	38.25	रा0क0उ0मा0वि0 भरसोली, अल्मोड़ा

01-19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश - 612

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–विज्ञान विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 63 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–संस्कृत––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सीमा	श्री गोविन्द राम उप्रेती	ग्राम एवं पो0– चिल्किया, तहसील–रामनगर, जिला–नैनीताल पिन– 244715	Gen	03.07.1991	नैनीताल	एम0ए0, बी0एड0	74.00	रा0क0इ0का0 मूनाकोट, पिथौरागढ़
2	मीना मेहरा	श्री दीवान सिंह	1–223 शिवालिक नगर, बी0एच. ई0एल0 जिला–हरिद्वार पिन– 249403	Gen	04.06.1992	चम्पावत	एम0ए0, बी0एड0	72.00	रा0क0इ0का0 रानीखेत, अल्मोड़ा
3	बबीता चौहान	श्री अरविन्द कुमार	ग्राम–खेडली, पो0–बहादराबाद, जिला–हरिद्वार पिन– 249402	Gen	03.05.1980	हरिद्वार	एम0ए0, बी0एड0	68.00	रा0क0इ0का0 काण्डा, बागेश्वर

01-01-19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश- 613

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8474-84 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–संस्कृत विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर हिन्दी विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में अवश्य हो तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

1-07-19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 614 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–उर्दू––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कु0 शबाना अन्जुम	श्री साबिर अली	ग्राम एवं पोस्ट–बरहैनी, तहसील–बाजपुर, जिला–उधमसिंहनगर पिन– 262401	Gen	22.03.1986	उधमसिंहनगर	एम0ए0, बी0एड0	55.75	रा0क0इ0का0 टनकपुर, चम्पावत

01.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 0485-95 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–उर्दू विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

31-01-19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 615 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–अंग्रेजी––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ममता राज	श्री हरीश राम	ग्राम व पोस्ट–सिलौनी, जिला–पिथौरागढ़ पिन– 262521	Gen	01.08.1990	पिथौरागढ़	एम0ए0, बी0एड0	67.50	रा0क0उ0मा0वि0 बनकोट, पिथौरागढ़
2	ज्योति नैलवाल	श्री जीवानन्द नैलवाल	ग्राम–रोरा, पो0–भतरौंजखान, जिला–अल्मोड़ा पिन– 263646	Gen	15.06.1991	अल्मोड़ा	एम0ए0, बी0एड0	64.50	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल
3	ललितेश शर्मा	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	निकट कोऑपरेटिव सोसायटी, गूलरभोज, पो0–गूलरभोज, जिला–उधमसिंहनगर पिन– 262401	Gen	02.01.1982	उधमसिंहनगर	बी0ए0, बी0एड0	64.00	रा0क0इ0का0 देवायल सल्ट अल्मोड़ा
4	राधा भट्ट	श्री हरीश चन्द्र भट्ट	संजयनगर–3, बिन्दुखत्ता, पो0–लालकुआँ, जिला–नैनीताल पिन– 262402	Gen	15.07.1990	नैनीताल	एम0ए0, बी0एड0	62.50	रा0क0इ0का0 रानीखेत, अल्मोड़ा

01.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

8496-8506 3/1/19- 615

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ ~~8496-8506~~ /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–अंग्रेजी विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

1.01.19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 617 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–अंग्रेजी––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रेनू चम्याल	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट	ग्राम–गोथाली, पो0–भैसियाछाना, जिला–अल्मोड़ा पिन– 263624	Gen	01.07.1984	अल्मोड़ा	बी0ए0, बी0एड0	62.00	रा0क0इ0का0 बग्वालीपोखर, अल्मोड़ा
2	रेखा सिंह	श्री प्रेम सिंह	निकट दिनेश प्रिन्टिंग प्रेस, नई बस्ती, काठगोदाम जिला–नैनीताल पिन– 263126	Gen	20.05.1980	नैनीताल	एम0ए0, बी0एड0	61.25	रा0क0इ0का0 मासी, अल्मोड़ा
3	गंगा	श्री मुरलीधर भट्ट	द्वारा दीपा चतुर्वेदी, पूल्ड हाउस कालोनी, छतर, पो0–चम्पावत जिला–चम्पावत पिन– 262523	Gen	02.07.1988	चम्पावत	एम0ए0, बी0एड0	61.25	रा0क0इ0का0 चमदेवल, चम्पावत
4	अम्बर	मौ0 परवेज	वार्ड नं0–8, निकट–रम्पुरा मस्जिद, किच्छा रोड, सितारगंज जिला–उधमसिंहनगर पिन– 262405	Gen	08.05.1992	उधमसिंहनगर	बी0ए0, बी0एड0	61.00	रा0क0इ0का0 गणाईगंगोली, पिथौरागढ़

1-01-19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश-617

8518-28

--02--

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–अंग्रेजी विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

01-01-19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 618 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–अंग्रेजी––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भारती बिष्ट	श्री विक्रम सिंह बिष्ट	पुराना खेड़ा कालोनी, वार्ड 05, निकट गुरूद्वारा, रूद्रपुर जिला–उधमसिंहनगर पिन– 263153	OBC	02.05.1981	पिथौरागढ़	एम0ए0, बी0एड0	59.50	रा0क0इ0का0 गंगोलीहाट पिथौरागढ़
2	सर्वजीत कौर	श्री बल्देव सिंह	ग्राम–जगतपुर पट्ट, पो0–शिवराजपुर, तहसील–जसपुर जिला–उधमसिंहनगर पिन– 244713	OBC	03.02.1992	उधमसिंहनगर	एम0ए0, बी0एड0	58.75	रा0क0उ0मा0वि0 गुमटी, अल्मोड़ा
3	रेनू	श्री गणेश प्रसाद	जवाहर ज्योति, शिवपुरी कालोनी, दमुआढूँगा हल्द्वानी जिला–नैनीताल पिन– 263139	SC	18.09.1991	अल्मोड़ा	एम0ए0, बी0एड0	53.50	रा0क0इ0का0 भरसोली, अल्मोड़ा
4	ललिता आर्या	श्री नैन राम आर्या	द्वारा रमा साह, 26 बड़ा बाजार, मल्लीताल जिला–नैनीताल पिन– 263001	SC	27.06.1988	नैनीताल	एम0ए0, बी0एड0	53.25	रा0क0उ0मा0वि0 होराली, बागेश्वर

01.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश- 618

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8529-39 –02– /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–अंग्रेजी विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

27-3-19
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 619 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–अंग्रेजी––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	किरन	श्री भूपेन्द्र प्रकाश	ग्राम–मालधनचौड़ सैक्टर–2, पो0–चन्द्रनगर वाया काशीपुर, ब्लाक–रामनगर जिला–नैनीताल पिन– 244713	SC	20.02.1991	नैनीताल	एम0ए0, बी0एड0	53.00	रा0क0उ0मा0वि0 तामानौली, पिथौरागढ़

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश-619

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 85402 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–अंग्रेजी विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

01-8-19

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 620 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–गणित––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती मीना तिवारी	श्री पानदेव पाण्डे	द्वारा श्री वी0सी0 तिवारी, कार्तिकेय कालोनी फेज–2, कुसुमखेड़ा हल्द्वानी जिला–नैनीताल पिन– 263139	Gen	25.06.1984	नैनीताल	एम0एस0 सी0, बी0एड0	50.00	रा0क0उ0मा0वि0 गुमटी, अल्मोड़ा

01.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश- 620

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 0552-62 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–गणित विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि परन्तु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम दो वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0–2/यू0टी0ई0टी0–2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

01-11

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 621 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–गृह विज्ञान––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सरोज जोशी	श्री जी0 एन0 जोशी	मकान नं0–805, सर्व प्रिय विहार, कनखल जिला–हरिद्वार पिन– 249408	Gen	28.10.1987	चम्पावत	एम0ए0, बी0एड0	80.00	रा0क0इ0का0 देवायल सल्ट अल्मोड़ा
2	गीता जोशी	श्री हरीश चन्द्र जोशी	ग्राम–हुरेती, पो0–डिग्री कालेज पिथौरागढ़ जिला–पिथौरागढ़ पिन– 262502	Gen	15.06.1990	पिथौरागढ़	एम0ए0, बी0एड0	76.75	रा0क0इ0का0 दौलाघट, अल्मोड़ा
3	आकॉक्षा	श्री इन्द्र लाल	बजरंग कालोनी, मानपुर उत्तर, रामपुर रोड, हल्द्वानी जिला–नैनीताल पिन– 263139	Gen	29.09.1991	नैनीताल	एम0ए0, बी0एड0	71.50	रा0क0उ0मा0वि0 बांगीधार, अल्मोड़ा
4	जानकी जोशी	श्री खीमानन्द जोशी	द्वारा श्री दीप जोशी, गणेश फर्नीचर हाउस, निकट बस स्टैण्ड, धारानौला जिला–अल्मोड़ा पिन– 263601	Gen	02.04.1989	उधमसिंहनगर	बी0ए0, बी0एड0	70.25	रा0बा0इ0का0 सोमेश्वर, अल्मोड़ा

01.01.19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

आदेश- 621

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8563-73 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–गृह विज्ञान विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 622 /2018–19 दिनांक 03 जनवरी, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ0अ0से0च0आ0/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1635 दिनांक 25–10–2018 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1582 /एस0एस0/2018 हरीश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–1961/2018, रिट याचिका संख्या–2483/2018, रिट याचिका संख्या–4009/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2018 के अधीन रहेंगी।

विषय–गृह विज्ञान––(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निखत फातिमा	श्री इन्तेजार हुसैन	नानक स्वीट हाउस के सामने बरेली रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल	OBC	15.08.1978	नैनीताल	बी0ए0, बी0एड0	70.00	रा0क0उ0मा0वि0 बासोट, अल्मोड़ा
2	प्रिया टम्टा	श्री भूपाल राम टम्टा	रूकुट कम्पाउण्ड, निकट हाईकोर्ट, मल्लीताल जिला–नैनीताल पिन– 263601	SC	19.01.1988	पिथौरागढ़	बी0ए0, बी0एड0	63.50	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरा, अल्मोड़ा
3	गीता आर्या	श्री केशी राम	पुलिस लाईन खगमरा, जिला–अल्मोड़ा पिन– 263601	SC	26.12.1991	पिथौरागढ़	बी0ए0, बी0एड0	61.25	रा0क0इ0का0 नमजला, पिथौरागढ़

01-01-19

(कमलेश कुमार गुप्ता)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

ओ0ई0-622

पृ0सं0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 8574-84 /2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
08– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
09– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली–भॉति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।

(ख)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–गृह विज्ञान विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि) के अनुसार कर ली जाय।

(ग)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–01–2017 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ड़)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)– अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद..... .....विषय..... को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

11– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

12– सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
13– कार्यालय आदेश पंजिका।

7.1.19
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक अन्य अभिलेख झूठे/फर्जी पाये जाते हैं तो इस हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....